

## कार्यालय अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

क्रमांक : जेपीडी/राजस्व/एफ.683/प्रे.


2438 दिनांक : 3-7-14

—:आदेश:—

विषय :- सही विद्युत विपत्र जारी करने बाबत।


इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 334 दिनांक 13.02.2014 के अनुसार अपवाद सूची के विभिन्न प्रावधानों में गत वित्तीय वर्ष के औसत उपभोग एवं राशि दोनों में से कोई एक या दोनों कारणों से दुगने से अधिक होना भी था। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त प्रावधान के फलस्वरूप काफी बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र "पोस्ट आडिट फिल्टर" की वजह से अपवाद सूची में आ जाते हैं एवं इन बिलों को जारी करने में अनावश्यक विलम्ब हाता है जबकि सामान्यतया ये विपत्र, उपभोक्ता के उपभोग के अनुसार सही पाये जाते हैं। अतः पूर्व प्रसारित प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की अपवाद सूची हेतु निम्न प्रावधान प्रसारित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	उपभोक्ता श्रेणी	संशोधित नवीन प्रावधान
1.	ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता	द्विमासिक उपभोग 300 यूनिट या गत वर्ष के औसत द्विमासिक उपभोग, दोनों में से जो भी अधिक हो
2.	शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता	
	(1) सिंगल फेस सप्लाई	द्विमासिक उपभोग 1000 यूनिट या गत वर्ष के औसत द्विमासिक उपभोग, दोनों में से जो भी अधिक हो
	(2) थ्री फेस सप्लाई	द्विमासिक उपभोग 2000 यूनिट या गत वर्ष के औसत द्विमासिक उपभोग, दोनों में से जो भी अधिक हो

(  
(आर.जी.गुप्ता)  
अध्यक्ष, डिस्कॉमस्

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर/जोधपुर
2. मुख्य अभियन्ता/उप मुख्य अभियन्ता ( )जयपुर डिस्कॉम, .....
3. मुख्य लेखाधिकारी( ) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम, .....
6. अधिशाषी अभियन्ता ( ) जयपुर डिस्कॉम, .....
7. लेखाधिकारी( ) जयपुर डिस्कॉम, .....
8. निजी सचिव, श्रीमान ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
9. तकनीकी /निजी सहायक, निदेशक ( ) जयपुर डिस्कॉम, .....

  
(के.एल. गुप्ता)  
विशेषाधिकारी(एटीआर)